Helpline **1064** 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में अशोक कुमार ग्राम प्रतिहारी ग्राम पंचायत मानसर खेडी तहसील बस्सी एवं विकम बुनकर पटवारी पटवार हल्का झर अतिरिक्त चार्ज मानसर खंडी तहसील बस्सी 30,000/- रुपये रिश्वतलेते रंगे हाथों को गिरफ्तार।**

जयपुर, दिनांक 12 मार्च 2026, गुरूवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी जयपुर ग्रामीण द्वारा आज कार्यवाही करते हुये **अशोक कुमार ग्राम प्रतिहारी ग्राम पंचायत मानसर खेडी तहसील बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण** एवं **विक्रम बुनकर पटवारी पटवार हल्का झर अतिरिक्त चार्ज मानसर खंडी तहसील बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण** को परिवादी से रिश्वत राशि **30,000/- रुपये** लेते रंगे हाथों को गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री गोविंद गुप्ता** ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी जयपुर ग्रामीण को परिवादी द्वारा को इस आशय की शिकायत दी गई कि पटवारी को मेरी कृषि भूमि का सह खातेदारो के बीच आपसी सहमति से विभाजन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था इस हेतू पटवारी मेरे कार्य करने की एवज मे रिश्वत की मांग कर परेशान कर रहा है

जिस पर एसीबी जयपुर रेंज जयपुर के **उप महानिरीक्षक श्री अनिल कयाल** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. चौकी जयपुर ग्रामीण के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुनील सिहाग** के द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी अशोक कुमार शर्मा ग्राम प्रतिहारी एवं विकम बुनकर पटवारी को 30,000/- रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरवीजन में आरोपियों से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा